

सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0
7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ—226001
Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

पत्रांक: 11 / सो.आ.नि.—312 / 2014
दिनांक: 04 अप्रैल, 2014

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: DSAC/BSACs को माह अप्रैल तथा मई—2014 में अपनी सेवाएं उपयोगी तरीके से प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाना।


महोदय,

चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण ग्राम पंचायतों में सोशल आडिट, जो सामान्यतयः अप्रैल से प्रारम्भ हो जाना चाहिए था, अब जून, 2014 से संचालित हो सकेगा। अतः अप्रैल तथा मई 2014 में DSAC/BSACs ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल आडिट सम्पन्न कराने से सम्बन्धित दायित्वों से मुक्त रहेंगे।

ज्ञातव्य है कि DSAC/BSACs की भूमिका का उल्लेख “उत्तर प्रदेश सोशल आडिट संदर्शिका, 2014” (प्रथम संस्करण) के पृष्ठ सं0 17 पर किया गया है। तदनुसार यह अपेक्षित है कि DSAC/BSACs से उनकी उक्त भूमिका के परिप्रेक्ष्य में ऐसे अन्य कर्तव्यों के वहन करने की अपेक्षा की जाए जो चुनाव आचार संहिता से बाधित न हो।


कृपया तदनुसार DSAC/BSACs की सेवाएं माह अप्रैल तथा मई, 2014 में उपयोगी तरीके से प्राप्त करने हेतु यथोचित कार्यवाही करें।

भवदीय,


(शंकर सिंह)
निदेशक।

प्रतिलिपि :-

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(शंकर सिंह)
निदेशक।